फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामलाल	**विपक्षी : श्री रूपा**
किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम	**पत्रावली संख्या : 12/17**
	जीसीएमएस : 2017/00037

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 9 से 11 द्वारा पूर्व में जवाब पेश किया जो शामिल फाईल हैं। रेकार्ड पर लिया जाता हैं। विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 8 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 8 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 6 फौत होने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 के तहत प्रस्तुत कर उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मौजा मानखण्ड पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 145 पर दर्ज आराजी नम्बर 636 किता 1 रकबा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा होना प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का [illegible] काश्तकार हैं। प्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar Punadia
Date: 2025.05.26 11:52:25 IST
Reason: SelfAttested

एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना अपना कब्जा बता रहे है परन्तु उभय पक्षकारान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किसका है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो वह पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में कब्जेधारी को बेदखल करने का प्रयास करेगा। जिससे मौके पर विवाद होगा एवं वाद बाहुल्यता बढेगी। ऐसे में प्रकरण में उभय पक्षो को पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा मानखण्ड पटवार हल्का मोरठ तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 के खाता संख्या 145 पर दर्ज आराजी नम्बर 636 किता 1 रकबा 5 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाए रखे। उभय पक्षकारान उपरोक्तानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:52:25 IST
Reason: SelfAttested